आयोजनागत

संख्याः 2521 /I(2)/2010-07(1)/08/2009

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 25 नवम्बर, 2010

विषयः– **आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूंजी दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 841/एमडी/पिटकुल, दिनांक 22.09.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0ई0सी0 से प्राप्त/प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूंजी के रुप में ₹ 5,00,00,000.00 (₹ पॉच करोड़ मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख ₹ में)

आर0ई0सी0 की योजना	राज्यांश के रुप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1– आर0ई0सी0–III के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूंजी निवेश	280.45
2– आर0ई0सी0–V के अन्तर्गत वित्त पोषित परियोजनायें हेतु अंशपूंजी निवेश	219.55
योग	**500.00**

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रुप में अंशपूंजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की लागत के सापेक्ष यथा अनुमोदित अंशपूंजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2011 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2011 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

.....2

6– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।

7– योजनाओं में अंशपूंजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूंजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।

8– परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–04–पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में अंशपूंजी–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 530/XXVII(2)/2010, दिनांक 16 नवम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

संख्याः 2521 /I(2)/2010-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9– मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– विशेष सैल, ऊर्जा।
11– बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

D:\B\Documents and Settings-2\BUDGET_GO\Budget_GO_2010-2011\PTCUL_BUDGET_2010-11.doc

2503